राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेशनर्स कल्याण,
विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान) 302005
ईमेल – dir-pen-rj@nic.in दूरभाष न. 0141–2740538, 2741687
वेबसाईट :– rajpension.nic.in, pension.raj.nic.in

क्रमांकः निपेवि/पीसी/ई–कुबेर/2020–21/ 2533-K दिनांकः 19-01-2022

1. श्री मनोज नागर,
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
एन.आई.सी.
कमरा न. 8318,
सचिवालय जयपुर।

2. तकनीकी निदेशक,
एन.आई.सी.,
कार्यालय हाजा।

विषयः–आई.एफ.पी.एम.एस. पर कोषाधिकारियो को सुविधा प्रदान करने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सावर्जनिक बैंको से पेंशन भुगतान की सुविधा वापिस लेकर केन्द्रीकृत पेंशन भुगतान पे–मैनेजर से किया जा रहा है, जिसमें कोषाधिकारियों/उपकोषाधिकारियों को लीगेसी डाटा अपडेट करने, जीपीओ, सीपीओ का भुगतान कर प्रथम पेंशन शुरू करना तथा बैंको से डाटा Mismatch का शुद्विकरण किया जा रहा है। दिनांक 19.01.2022 को वीडिया कॉन्फ्रेसिंग के द्वारा कोषाधिकारियो द्वारा उठायी गई निम्न समस्याओं का समाधान शीघ्र कराने की व्यवस्था करावें:–

1. जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर अपलोड करने के बजाय जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त होने की तिथि अंकित करने की व्यवस्था की जावें। जीवन प्रमाण पत्र कोषाधिकारियो/उपकोषाधिकारियों द्वारा रिकॉर्ड में रखा जावें। इसी प्रकार की व्यवस्था विवाह/पुर्नविवाह, आय प्रमाण पत्र तथा विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए भी प्रदान की जावें।
2. मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर प्रमाण पत्र अपलोड करने के बजाय मृत्यु की तिथि तथा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की तिथि अंकित की जावें तथा मृत्यु प्रमाण पत्र कोषाधिकारी/उपकोषाधकारी द्वारा रिकॉर्ड में रखा जावें।
3. मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर यदि आगे पारिवारिक पेंशन जारी नहीं की जानी है तो पेंशन STOP की सुविधा दी जावें। यदि पति/पत्नि को पारिवारिक पेंशन जारी की जानी है तो पेंशन HOLD पर रखने की सुविधा दी जावें ताकि पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने की कार्यवाही होने तक पूर्व की पेंशन का भुगतान रोका जा सके तथा यदि अधिक भुगतान हो चुका है तो उसकी वूसली की कार्यवाही की जा सके।
4. पारिवारिक पेंशनर के विवाह/पुर्नविवाह की सूचना प्राप्त होने पर पारिवारिक पेंशन STOP करने का विकल्प दिया जावें तथा उसके बाद

अन्य किसी सदस्य का पारिवारिक पेंशन स्वीकृत होती है तो पेंशन चालू करने की सुविधा दी जावें।

5. पारिवारिक पेंशनर के नौकरी लगने/आय प्रतिमाह 9500/–रू. से अधिक होने की सूचना प्राप्त होने पर पारिवारिक पेंशन STOP करने की सुविधा दी जावें।
6. आई.एफ.पी.एम.एस. पर एल.टी.ए. की समस्त देय राशि/एरियर की गणना ऑटोमेशन से होने की सुविधा दी जावे, जिससे कोषाधिकारियों द्वारा पोर्टल पर सिस्टम जनरेटेड गणना करने पर बिल जनरेट होकर सी.पी.डी.एम.सी. को प्राप्त हो जावें।
7. जिन पेंशनर्स को नवम्बर माह तक बढी हुई 31 प्रतिशत डी.आर. का भुगतान नहीं हुआ है, उनकी कोषालयवार सूची मनाकर पूर्ण सूचना प्रत्येक कोषाधिकारी को उपलब्ध करवायी जावें।

उक्त समस्त सुविधाऐं तुरन्त दिया जाना आवश्यक है, ताकि माह जनवरी की पेंशन के साथ एरियर का भुगतान एवं पेंशनर के सभी आंकडो का सही अंकन संभव हो सके।

भवदीय,

(संजय सोलंकी)
निदेशक

OSD/Sir/315